25/06/2018 को 11:30 बजे एनएसईजेड अथॉरिटी की बैठक सेवा केंद्र के सम्मेलन कक्ष, एनएसईजेड में डॉ एलबी सिंघल, अध्यक्ष और सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

बैठक में प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे।

1. श्री एस एस शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा

2. श्रीमान डीटी □राते, सहायक डीजीएफटी, कान□ुर

3. श्रीमान अमित मेहरा, अध्यक्ष एव□प्रबंध निदेशक, मैसर्स मेडिको इलेक्ट्रोड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, एनएसईजेड, नोएडा

4. श्रीमान □ुनीत क□ूर, □ार्टनर, मैसर्स ए□ीके आइडेंटिफिकेशन, एनएसईजेड, नोएडा

इसके अलावा, बैठक के दौरान प्राधिकरण की सहायता के लिए एनएसईजेड के उ□ विकास आयुक्त श्री राजेश कुमार भी मौजूद थे। अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-ए में संलग्न है।

शुरुआत में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त □रिचय के बाद, एजेंडा में शामिल प्रत्येक आइटम को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया।

प्राधिकरण की बैठक में किए गए विचार-विमर्श / निर्णयों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. 26/03/2018 को आयोजित एनएसईजेड प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत का मूल्यांकन:-

प्राधिकरण के सदस्य को सूचित किया गया था कि सीडब्ल्यूसी में गोदाम की अनुमोदित लागत से सम्बन्धित गलती को छोड़कर 26.03.2018 को आयोजित बैठक में एनएसईजेड प्राधिकरण के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नही□हुआ था। इस बैठक के एजेंडा आइटम नम्बर 8 के रू□ में इसे अलग से विचार-विमर्श किया गया था। प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी में गोदाम का संशोधित लागत 3.25 करोड़ रु□ए को मंजूरी दी जो गलती से दिनांक 26/03/2018 की प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत में "2.91 करोड़ रु□ये" दिखाई दिए थी। तदनुसार, कार्यवृत के □ैरा 4.2 के तहत तालिका के क्रम संख्या 10 में आइटम के संबंध में अनुमोदित लागत को 291.77 लाख रु□ये की जगह 325.68 लाख रु□ये के रू□ में □ढ़ा जाएगा। तालिका में कुल अनुमोदित लागत "6019.78 लाख रु□ये" के स्थान □र "6053.69 लाख रु□ये" □ढ़ा जा सकता है। मौजूदा और नए काम के संबंध में कुल व्यय के रू□ में कार्यवृत के □ेज 14 □र दिखाया गया 7474.16 लाख रु□ये को 7470.06 लाख रु□ये में संशोधित किया गया है। तदनुसार, 26.03.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत को इन संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, एनएसईजेड अथॉरिटी ने एसईजेड अथॉरिटी नियम, 2009 के नियम 10 के उ□-नियम 14 के संदर्भ में प्राधिकरण की □िछली बैठक में किए गए निर्णयों के अनु□ालन की समीक्षा की और 26.03.2018 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण द्वारा उठाए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति □र संतोष व्यक्त किया।

2. नियम 6 (1) (IV) और 12 (2) और एसईजेड प्राधिकरण नियमों 09 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय वक्तव्य (बैलेंस शीट) और वार्षिक रि□ोर्ट की स्वीकृति: नामांकित सीए फर्म जैसे मैसर्स राजीव शर्मा एण्ड एसोसिएट्स द्वारा तैयार एनएसईजेड अथॉरिटी के वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय वक्तव्य और वार्षिक रि□ोर्ट और मैसर्स गोयल □ारुल एण्ड कों द्वारा एक स्वतंत्र सीए फर्म द्वारा लेखा □रीक्षित, प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था अनुमोदन के लिए। डीओसी द्वारा जारी किए गए दिनांक 01/11/17 के कार्यालय ज्ञा□न संख्या एच-1010/ 1/2017-एसईजेड के अनुसार, इसे जून के अंत तक सीएजी को अग्रेषित करने की आवश्यकता है।

निर्णय: श्री राजीव शर्मा, एफसीए, मैसर्स राजीव शर्मा एण्ड एसोसिएट्स ने बैलेंस शीट की मुख्य विशेषताए□और खातों □र नोट के बारे में प्राधिकरण के सदस्यों को बताया। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट को मंजूरी दे दी। अध्यक्ष और सीईओ, एनएसईजेड अथॉरिटी ने एस्टेट डिवीजन, एनएसईजेड को सालाना 2017-18 के लिए वैधानिक लेखा जांच और डीओसी के लिए सीएजी को वार्षिक लेखा/रि□ोर्ट की प्रतिया□ अग्रेषित करने के निर्देश दिए।

3. □ट्टा किराया और अन्य उ□योगकर्ता शुल्क की दरों में संशोधन: प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया था कि तत्कालीन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में 1.5.2013 को हुई बैठक में वाणिज्य विभाग ने फैसला किया था कि सभी केंद्रीय सरकार एसईज़ेड में हर साल □ट्टा किराया संशोधित किया जाना चाहिए। तदनुसार, भूखंड / एसडीएफ के लिए किराए □र किराए 10% द्वारा संशोधित किया जा रहा था। हालांकि, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्राधिकरण के सदस्यों के अनुरोध □र इस तरह के लीज किराया वृद्धि का प्रस्ताव मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार □र प्लॉट / एसडीएफ का @ 7% तय किया गया था। प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया था:

□ट्टा किराया	**मौजूदा दर**	**प्रस्तावित दर**	**बढ़ोतरी**
एसडीएफ़	1832/- रु□ये	2015/- रु□ये	9.98%
भूखंड	132/- रु□ये	145/- रु□ये	9.84%
देखभाल	20/- रु□ये	22/- रु□ये	10%
□ानी शुल्क	**प्रति क्वार्टर**	**प्रति क्वार्टर**	
भूखंड 1000 वर्गमीटर तक	**910/- रु□ये**	**1000/- रु□ये**	9.89%
भूखंड 5000 वर्गमीटर तक	1284/- रु□ये	1400/- रु□ये	9.03%
भूखंड 5000 वर्गमीटर से अधिक	2568/- रु□ये	2850/- रु□ये	10.98%
एसडीएफ़	1712/- रु□ये	1880/- रु□ये	9.81%

निर्णय: प्राधिकरण के व्या□ारिक सदस्यों ने बताया कि जोन के बाहर किराए □र □रिसर के □ट्टे के किराए में हर तीन वर्षों में 15% की वृद्धि की प्रथा है और इसकी तुलना में 10% की वृद्धि का वर्तमान प्रस्ताव बहुत अधिक है।

उन्होंने 5% तक इसे बढ़ाने का सुझाव दिया। एनएसईजेड अथॉरिटी के सीए ने सदस्यों को अंतिम वृद्धि के बाद 2.94% की लागत सूचकांक में वृद्धि के बारे में सूचित किया, हालांकि यह बास्केट के चयन उत्पादों पर आधारित है और भवनों के किराये में वृद्धि की सूचकांक के बारे मे पुख्ता नहीं बता सकता सकता है। विचार-विमर्श के बाद, व्यापार का प्रतिनिधित्व करते प्राधिकरण के दोनों सदस्यों की सिफारिशों पर प्राधिकरण ने, किराए पर 6% की वृद्धि करने का फैसला किया; जो कि 10% और 5% की वृद्धि के दो प्रस्तावों के बीच है। प्राधिकरण ने रखरखाव शुल्क प्रति वर्ष 20 / - प्रति वर्ग मीटर से प्रति वर्ष 22 / - प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष बढ़ाने का फैसला किया। प्राधिकरण के सदस्यों ने पाया कि पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क फ्लैट और कम है। व्यापार के प्रतिनिधित्व सहित प्राधिकरण ने इसे 20% तक बढ़ाने की सिफारिश की और सीए को निर्देश दिया कि किसी भी लागत के अंतर को जानने के लिए पानी की आपूर्ति और पानी के शुल्कों के संबंध में व्यय और रसीद की जांच की जाए। तदनुसार, द्वारा अनुमोदित वृद्धि प्राधिकरण निम्नानुसार है:

प्लॉट किराया	**मौजूदा दर**	**प्रस्तावित दर**	**बढ़ोत्तरी**
एसडीएफ़	1832/- रुपये	1942/- रुपये	6%
भूखंड	132/- रुपये	140/- रुपये	6%
देखभाल	20/- रुपये	22/- रुपये	10%
पानी शुल्क	**प्रति क्वार्टर**	**प्रति क्वार्टर**	
भूखंड 1000 वर्गमीटर तक	**910/-** रुपये	**1092/-** रुपये	20%
भूखंड 5000 वर्गमीटर तक	1284/- रुपये	1541/- रुपये	20%
भूखंड 5000 वर्गमीटर से अधिक एसडीएफ़	2568/- रुपये	3082/- रुपये	20%
	1712/- रुपये	2054/- रुपये	20%

4. सौर पैनलों से संबंधित कार्यों के पूरा होने में देरी के अनुकूलन के लिए मैसर्स पीईसी लिमिटेड का अनुरोध:
प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नोएडा एसईजेड में इस कार्यालय के पत्र के मुताबिक दिनांक 08/06/2017 को 7.06 करोड़ रुपये की लागत से एक पीएसयू मैसर्स पीईसी लिमिटेड को 1000 केब्ल्यूपी ग्रिड की आपूर्ति, स्थापना और आयोग के लिए 12 मानक डिजाइन कारखानों (एसडीएफ) के छत पर सौर पीवी पावर प्लांट से जोड़ने का काम सौंपा गया था। मैसर्स पीईसी लिमिटेड के साथ इस कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार परियोजना को 06/12117 तक स्थापित और कमीशन किया गया था। हालांकि इसे 01/01/2018 को चालू किया जा सकता है मैसर्स पीईसी लिमिटेड ने 30/05/2018 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने 1000 केडबल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित और चालू किया और 01/01/2018 को इस कार्यालय को सौंप दिया, हालांकि यह औपचारिक रूप से सौंपा नहीं गया था क्योंकि यह परिचालन में नहीं था। काम शुरू होने की सटीक तारीख को मैसर्स पीईसी लिमिटेड द्वारा सूचित नहीं किया गया है,

इसलिए, इसे समझौते की शर्त संख्या 13 के अनुसार काम के देने की तारीख से 15 वें दिन में लिया गया है। तदनुसार समापन तिथि 06/12/2017 होगी, यानी परियोजना की शुरुआत के 5 महीने बाद। इसलिए, 3 सप्ताह और 5 दिनों की देरी है।

मैसर्स पीईसी लिमिटेड ने 30/05/2018 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि सौर संयंत्र काफी अच्छे गति से स्थापित किया गया था। हालांकि, डीजीईआई (विद्युत सुरक्षा विभाग) और यूपीपीसीएल, एक तीसरी पार्टी, पीईसी के नियंत्रण में नहीं था, से एनओसी दिसंबर 2017 के महीने में प्राप्त हुआ था। इसलिए परियोजना के सौंपने से पीईसी और एनएसईजेड के बीच समझौते में दिए गए समय से कुछ समय लगे। इसके अलावा, यूपीपीसीएल से आवश्यक समय के भीतर नेट-मीटरींग की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी।

मैसर्स पीईसी ने उपर्युक्त कारणों के कारण अनुमोदित समय से परे परियोजना के पूरा होने में देरी को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

निर्णय: प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया था कि मैसर्स पीईसी लिमिटेड की विवाद, यूपीपीसीएल द्वारा शुद्ध मीटरींग अनुमोदन में देरी के कारण 26 दिनों की देरी वास्तव में सही थी। प्राधिकरण ने नोट किया कि सौर पैनलों को अच्छी गति से स्थापित किया गया है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैसर्स पीईसी द्वारा समझाया गया है, देरी मुख्य रूप से नोसी की प्राप्ति और तीसरे पक्ष से शुद्ध मीटर अनुमोदन के कारणहुआ है। इसलिए, प्राधिकरण, उचित विचार-विमर्श के बाद, कार्य पूरा होने में हुयी देरी को माफ किया।

5. सीडब्ल्यूसी में परिसर दीवार के अतिरिक्त काम के लिए स्वीकृति। प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया था कि एनएसईजेड में सीडब्ल्यूसी की परिसर दीवार का निर्माण एनपीसीसी को 28/04/2017 के इस कार्यालय पत्र के मुताबिक 1,34,27,264/- (सभी शुल्कों सहित) की अनुमानित लागत पर दिया गया था। मैसर्स एनपीसीसी लिमिटेड ने बताया कि यह काम मैसर्स रॉयल कंस्ट्रक्शन कॉ को 1,09,53,216/- रुपये पर दिया गया था। कार्यकारी एजेंसी, मैसर्स रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 14/10/2017 के बजाय 20/12/2017 को काम पूरा कर लिया है, वास्तविक साइट की स्थिति के अनुसार काम के अतिरिक्त दायरे के कारण, गेट क्षेत्र में एप्रोच स्लैब के निर्माण, पावरों को रखना, ब्लॉक, जमीन के गड्ढे के हिस्से के स्तर पर भरने वाली रेत, फर्श पीवीसी कंडिशन में वेट्रिफाइड टाइल्स डालने से सतही कोने में सहायक उपकरण के साथ आदि। अनुबंध के द्वारा दिये कार्य का मूल्य 1,09 .53.216/- रुपये से बढ़कर 1,19,52,831/- रुपये हो गया है। स्वीकृति के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था।

<u>**निर्णय:**</u> प्राधिकरण, उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त कार्य को मंजूरी दे दी गई क्योंकि अंतिम लागत कुल अनुमोदित लागत या 1.34 करोड़ रुपये से कम है।

6. जोन □रिसर में दुकानों के आवण्टन और विनियमन के लिए मसौदा दिशानिर्देश- प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया था कि जोन □रिसर में दुकानों के आवण्टन के प्रस्ताव को 26/03/2018 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, जहा□श्री राजेश कुमार, डीडीसी की अध्यक्षता में एक समिति श्री आर□ी वर्मा, सचिव और वरिष्ठ लेखा अधिकारी सहित, का गठन करने का निर्णय लिया गया था और, जिसमें शेयरहोल्डिण्ग के बदलाव के दुकान/विशिष्ट मुद्दों के आवण्टन के लिए मसौदे दिशानिर्देश तैयार करने और एनएसईजेड प्राधिकरण को उ□युक्त सिफारिशें दी गई हैं। सदस्य, विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए मसौदे दिशानिर्देश जिन्हें प्राधिकरण के समक्ष मञ्जूरी के लिए रखा गया था।

<u>निर्णय:</u> प्राधिकरण के सदस्यों ने सूचित किया कि दुकानों के आवण्टन और विनियमन के लिए मसौदे दिशानिर्देशों को अनुमोदित होने से □हले विवरण अध्ययन और जाण्च की आवश्यकता है और इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

7. नए कार्यों के अनुमानों की स्वीकृति:- एनबीसीसी / एन□ीसीसी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित अनुमान प्राधिकरण के समक्ष मञ्जूरी के लिए रखे गए थे:

क्रम सण्ख्या	कार्य का नाम	एजेंसी	बजट प्रावधान (लाख रु□ये में)	अनुमानित लागत (लाख रु□ये में)
1.	केंद्रीय सीमा, सड़क प्रकाश आदि सहित शेष सड़कों का □नर्निर्माण	एनबीसीसी	2000	1935.90
2.	नाली □र कवर के साथ जल निकासी प्रणाली का □नर्निर्माण।	एनबीसीसी	1500	1499.46
3.	एसडीएफ सण्ख्या एफ, जी, एच और आई ब्लॉक का नवीनीकरण। एनएसईजेड और ई ब्लॉक के □ानी प्रूफिण्ग (1000 वर्ग मीटर)	एनबीसीसी	2000	2030.98
4.	कक्ष सण्ख्या 101, 102,104,105,106,110, 111, 112 और 113 की टाइलें और रण्गाई और कक्ष सण्ख्या 103 और 113 को छोड़कर सभी कक्ष में रण्गाई और दूसरी मञ्जिल □र कमरे सण्ख्या 206, 209 और 210 का रण्गाई।	एनबीसीसी	51.54	51.78
5.	गेट नण्बर 02, एनएसईजेड का नवीनीकरण जिसमें आयरन गेट के प्रतिस्था□न और एनएसईजेड	एनबीसीसी	51.44	51.44

	नाम बोर्ड आदि का निर्धारण शामिल है।			

प्राधिकरण के सदस्यों को सूचित किया गया कि सयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 26/03/2018 समिति की बैठक में और एनएसईजेड अथॉरिटी के सदस्य श्री ुनीत कूर, एनएसईजेड अथॉरिटी के सदस्य श्री अमित मेहरा, उ विकास आयुक्त (आर) और सीमा शुल्क के डिप्टी कमिश्नर अनुमानों की जाच करने और उयुक्त सिफारिशें देने के लिए का गठन किया गया था। उर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, समिति ने अनुमानों की जाच के लिए 11/6/2018 को एक बैठक बुलाई। विचार-विमर्श के बाद समिति ने सड़कों के ुनर्निर्माण के लिए काम के दायरे और अनुमान के लिए सिफारिश की। अन्य कार्यों के लिए, समिति ने एनबीसीसी / एन ीसीसी से कुछ दस्तावेज माग जिन्हें जाच के लिए सदस्यों को प्रदान किया गया है। मजूरी के लिए प्राधिकरण के समक्ष 1935.90 लाख रु ये के लिए सड़क का लागत खर्च का अनुमान लगाया गया था। उर्युक्त तालिका में उल्लिखित मद सख्या 5 के बारे में सूचित किया गया था कि मैसर्स एन ीसीसी लिमिटेड ने रि त्र सख्या डीजी / लागत सूचकाक / 10 दिनाक 05/02/18 प्रदान किया है। इसके अनुसार, दिल्ली की लागत सूचकाक 01/10/2012 आधार 100 के रू में प्लिथ क्षेत्र की दरों र 1/10/17 र 115 है। गणना के आधार र-

$$\frac{[105-102 \times 100]}{102}$$

यह मैसर्स एन ीसीसी द्वारा 12.75% की लागत सूचकाक का सुझाव दिया गया था

<u>निर्णय:</u> उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित किया:

ए) मैसर्स एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित 1935.90 लाख रु ये का अनुमान "केंद्रीय सड़क, सड़क प्रकाश इत्यादि सहित शेष सड़क का नवीनीकरण" के लिए।

बी) आयरन गेट के प्रतिस्था न और एनएसईजेड नाम बोर्ड के निर्धारण सहित गेट नबर 2 के नवीनीकरण के सबध में मैसर्स एन ीसीसी द्वारा प्रस्तावित 51.44 लाख रु ये का अनुमान।

8. सीडब्ल्यूसी रिसर में नए वेयर हाउस के निर्माण के सबध में 26/03/2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत के लिए शुद्धि त्र:- प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि 26/03/2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में विस्तार के प्रावधान के तहत सीसी स्लैब के साथ एन ीसीसी के माध्यम से एक मजिला नए गोदाम का निर्माण किया गया था, जिसके लिए अनुमानित लागत 3,25,68,239/- (श्रम उकर को छोड़कर) रु ये दी गई थी। हालाकि, उस बैठक में बजट प्रावधान की मजूरी के दौरान, 2,91,77,340 / - की अनुमानित लागत को विकल सख्या 1 के रू में अनुमोदित किया गया था जिसमें आगे विस्तार / विस्तार के लिए कोई प्रावधान नही है। एम / एस एन ीसीसी ने 14/05/2018 के अ ने त्र के माध्यम से आरसीसी स्लैब के साथ नए गोदाम के निर्माण के लिए अनुमानित लागत को 3,25,68,239/- रु ये में सुधार लाने का अनुरोध किया है और इस

कार्यालय के लिए दिए गए विकल्□ 3 के रू□ में भविष्य के विस्तार के प्रावधान के साथ दिनांक 07/03/2018 ईमेल किया। अनुमानित लागत के सुधार के लिए प्रस्ताव 3,25,68,239/- (श्रम उ□कर को छोड़कर) को प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया था।

<u>**निर्णय:**</u> प्राधिकरण ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इस मद के संबंध में 26/03/2018 की प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत में आवश्यक सुधारों को दिखाने के लिए आइटम और "सभी मामूली / प्रमुख कार्यों के लिए प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एस्टेट डिवीजन, एनएसईजेड को निर्देशित किया।

9. मैसर्स एनबीसीसी को दी गई चालू □रियोजनाओं की समीक्षा: मैसर्स एनबीसीसी को दी गई चालू □रियोजनाओं के संबंध में प्रगति रि□ोर्ट प्राधिकरण के समक्ष निगरानी के लिए रखी गई थी। एनएसईजेड अथॉरिटी ने सभी □रियोजनाओं की प्रगति □र एक-एक करके निगरानी की। मैसर्स एनबीसीसी द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें एसडीएफ एफ, जी, एच और आई ब्लॉक के अग्निशामक काम के संबंध में समस्या का सामना करना □ड़ रहा है क्योंकि इन एसडीएफ से कार्यरत कुछ इकाइयां विभिन्न कारणों से इस काम के लिए अ□ने □रिसर की □ेशकश नहीं कर रही हैं जैसे कि फाल्स छत, यूनिट के कार्यों में दखलंदाजी आदि। प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि इन इकाइयों से लिखित इनकार प्राप्त किया जा सकता है और रिकॉर्ड □र रखा जा सकता है और शेष कार्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सकता है।

10. मैसर्स एन□ीसीसी को दी जाने वाली चालू □रियोजनाओं की समीक्षा: मैसर्स एन□ीसीसी को दी गई चालू □रियोजनाओं के संबंध में प्रगति रि□ोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी। प्राधिकरण ने प्रत्येक □रियोजना को एक-एक करके समीक्षा की। प्राधिकरण ने ठोस अ□शिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण कार्य की प्रगति □र संतोष व्यक्त किया।

11. मैसर्स एनएसएल को दी जाने वाली सेवाओं के निष्□ादन की समीक्षा:- मैसर्स एनएसएल को दी जाने वाली चालू सेवाओं की वर्तमान स्थिति प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी, जिसने प्रत्येक सेवाओं को एक-एक करके समीक्षा की और एनएसएल के प्रदर्शन □र संतुष्टि व्यक्त की। सदस्यों ने □ानी के लॉगिंग से बचने के लिए मानसून की शुरुआत से □हले एनएसईजेड की जल निकासी को साफ करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए विशेष रू□ से मैसर्स एनएसएल के प्रतिनिधि से □ूछा।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गई।

(एस एस शुक्ला)

संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ एलबी सिंघल)

अध्यक्ष और सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण